अनुदान संख्या 65 - विधि और न्याय
GRANT No. 65 - LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5973,79,00	7482,71,00	7309,68,40	-173,02,60
पूरक	Supplementary	1508,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				96,80,25
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	167,16,00			
पूरक	Supplementary	8,69,00	175,85,00	102,28,76	-73,56,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				73,25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹17302.60 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹150892.00 लाख की पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹17302.60 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grant of ₹150892.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	189374.00			
पू.	S.	17.00			
पु.	R.	-33017.12	156373.88	149561.62	-6812.26
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	241820.00			
पू.	S.	149214.00			
पु.	R.	24999.00	416033.00	415985.06	-47.94
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रह	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	12076.00			
पू.	S.	1600.00			
पु.	R.	1283.00	14959.00	14814.38	-144.62
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	25500.00			
पु.	R.	-25499.99	0.01	..	-0.01
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	104500.00			
पु.	R.	23340.00	127840.00	127840.00	..

(I) ₹25612.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹25500.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "न्याय प्रशासन" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुदान" – ₹10000.00 लाख; और

(खा) "ई–न्यायालय चरण–III" – ₹15500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2014" –

(का) "कानूनी सहायता सेवाएँ" –

(क) "भारत में न्याय तक सर्वांगीण पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)" – ₹2489.60 लाख की बचत (₹4800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तीसरी और चौथी किस्त जारी करने में देरी और दिशा योजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए एजेंसी के चयन में देरी होने के कारण हुई।

(ख) "कानूनी सहायता बचाव काउन्सेंल प्रणाली" – ₹8793.50 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएनए के पास अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "ई–न्यायालय – ई–न्यायालय चरण–III" – ₹31589.59 लाख की बचत (₹134500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उच्च न्यायालयों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹25612.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹25500.00 lakhs accounted for under the Major Head "2552" - "Administration of Justice" -

(A) "Grants for Infrastructural facilities for Judiciary" - ₹10000.00 lakhs; and

(B) "E-Courts Phase-III" - ₹15500.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2014" -

(A) "Legal Aid Services" -

(a) "Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA)" - saving of ₹2489.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.00 lakhs) was due to delay in release of 3rd and 4th instalment of CSC e-Governance Services India Ltd and delay in selection of the agency for 3rd party evaluation of DISHA Scheme.

(b) "Legal Aid Defence Counsel System" - saving of ₹8793.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with SNAs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "E-Courts - E-Courts Phase-III" - saving of ₹31589.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹134500.00 lakhs) was due to release of less amount of funds to various High Courts.

(III) मुख्य शीर्ष “2015” –

(का) “संसद के चुनाव कराने के लिए शुल्क – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” – ₹506.35 लाख की बचत (₹1189.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय” – ₹972.24 लाख की बचत (₹1019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीईएल और ईसीआईएल द्वारा ईवीएम के तीसरे पक्ष द्वारा परीक्षण के लिए बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹26851.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹78581.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष “2014” – “अन्य व्यय – भारतीय विधि संस्थान” – ₹415.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष “2015” –

(क) “निर्वाचन अधिकारी – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” – ₹5867.99 लाख।

(ख) “मतदाता सूची की तैयारी और मुद्रण – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति”– ₹20568.01 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20567.90 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष “2014” – “कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता – विधि कार्य विभाग” – ₹2432.25 लाख का अधिक व्यय (₹7056.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(III) Under Major Head “2015” -

(A) “Charges for conduct of Election to Parliament - Expenditure in Union Territories without Legislature” - saving of ₹506.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1189.00 lakhs) was due to non-utilization of funds on the part of UT of Ladakh and Jammu & Kashmir.

(B) “Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machines” - saving of ₹972.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1019.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for third party testing of EVMs by BEL and ECIL.

2.(I) The above savings were partly (₹26851.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹78581.00 lakhs in December, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head “2014” - “Other Expenditure - Indian Law Institute” - ₹415.00 lakhs.

(B) Major Head “2015” -

(a) “Electoral Officers - Reimbursements to State/ Union Territory Govts” - ₹5867.99 lakhs.

(b) “Preparation and Printing of Electoral Rolls- Reimbursements to State/Union Territory Govts” - ₹20568.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹20567.90 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2014” - “Legal Advisers and Counsels - Department of Legal Affairs” - excess of ₹2432.25 lakhs (against the sanction provision of

में) सरकारी अधिवक्ताओं के बकाया बिलों के निपटान के कारण हुआ।

₹7056.00 lakhs) was due to clearance of outstanding bills of Government Counsels.

(खा) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कानून मंत्रालय)" – ₹1138.38 लाख का अधिक व्यय (₹1600.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹13676.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, अधिक दौरे करने, अधिक स्टाफ कारों को किराए पर लेने, कार्यालय भवन के किराए और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के कारण हुआ।

(B) Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal (Ministry fo Law)" - excess of ₹1138.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13676.00 lakhs including supplementary grant of ₹1600.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, more tours undertaken, hiring of more staff cars, payment of Rent and Licence Fee of office building.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं" – ₹23340.00 लाख का अधिक व्यय (₹84500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधा योजनाओं के कार्यान्वयन, रिक्त पदों को भरने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary" - excess of ₹23340.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹84500.00 lakhs) was due to implementation of Infrastructure Facilities Schemes for Judiciary, filling up of vacant post and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹500.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 250 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹500.00 lakhs occurred, constituting 250 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹7356.24 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹869.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹7356.24 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹869.00 lakhs obtained in March, 2025 and constituted 42 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.		8663.00	4663.00	4663.00	..
पु.	R.		–4000.00			
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services					
मू.	O.		7155.00	4360.53	4360.51	-0.02
पु.	R.		–2794.47			
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services					
मू.	O.		898.00	1236.47	1205.25	-31.22
पू.	S.		869.00			
पु.	R.		–530.53			

(I) मुख्य शीर्ष "4075" – "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹564.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹862.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1426.50 लाख कर दिया गया, तथापि, जो प्रक्रियात्मक और तकनीकी देरी और कम आईटी उपकरणों की आवश्यकता होने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹470.55 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Secretariat General Services" - the original provision of ₹564.50 lakhs was augmented to ₹1426.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹862.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of ₹470.55 lakhs - due to non-finalisation of proposals owing to procedural and technical delay and requirement of less IT equipment.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – सर्वोच्च न्यायालय भवन का विस्तार" के अंतर्गत ₹4000.00 लाख की बचत (₹8663.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction- Expansion of Supreme Court Building" - saving of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8663.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "4070" के अंतर्गत –

(III) Under Major Head "4070" -

(का) "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण" के अंतर्गत ₹1146.81 लाख की बचत (₹4690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Direction and Administration - Acquisition of Land and Construction of Building for Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹1146.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4690.00 lakhs); and

(खा) "निर्वाचन – निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम" – ₹1647.68 लाख की बचत (₹2465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Election - EVMs for Election Commission" - saving of ₹1647.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2465.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.